रजिस्ट्री सं. डी. (डी.)-72 REGISTERED NO. D (D)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 269] नई दिल्ली, शुक्रवार, सितम्बर 5, 1980/भाद्र 14, 1902
No. 269] NEW DELHI, FRIDAY, SEPTEMBER 5, 1980/BHADRA 14, 1902

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

नौवहन और परिवहन मंत्रालय

(परिवहन पक्ष)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 27 अगस्त, 1980

सा० का० नि० 516 (अ)—केन्द्रीय सरकार, महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 (1963 का 38) की धारा 28 और धारा 126 के साथ पठित धारा 24 की उपधारा (1) के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित विनियम बनाती है, अर्थात्:—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ :— (1) इन विनियमों का नाम नव मंगलौर पत्तन (पाइलट प्राधिकरण) विनियम, 1980 है।

(2) ये 1 अप्रैल, 1980 को प्रवृत्त होंगे।

2. परिभाषाएं:—इन विनियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

(क) "बोर्ड", "अध्यक्ष" और "उपाध्यक्ष" के वही अर्थ होंगे जो महापत्तन न्यास अधिनियम 1963 (1963 का 38) में उनके हैं,

(ख) "उपसंरक्षक" से पत्तन का उपसंरक्षक तथा ऐसा अधिकारी अभिप्रेत है जिसमें पोत चालन का निदेशन और प्रबंध निहित है,

(ग) "बंदरगाह मास्टर" से उस रूप में ऐसे कर्तव्यों का पालन करने के लिए बोर्ड द्वारा नियुक्त किया गया ऐसा अधिकारी अभिप्रेत है जो समय-समय पर उपसंरक्षक द्वारा उसे सौंपे जाएं,

(घ) "अनिवार्य पोत चालन जल की सीमाएं" से ऐसी सीमाएं अभिप्रेत हैं जो किसी पत्तन के संबंध में भारतीय पत्तन अधिनियम, 1908 (1908 का 15) की धारा 4 की उपधारा (2) में परिनिश्चित हैं।

(ङ) "पाइलट" से अभिप्रेत है बोर्ड द्वारा, केन्द्रीय सरकार के प्राधिकरण के अधीन रहते हुए, उस रूप में कार्य करने के लिए वैध रूप से नियुक्त तथा अनुज्ञप्त किया गया ऐसा कोई व्यक्ति जो पत्तन में किसी जलयान को ऐसे पाइलट कर सके जैसे कि उसे उपसंरक्षक या बंदरगाह मास्टर निर्दिष्ट करे।

(च) "पत्तन" से नव मंगलौर पत्तन अभिप्रेत है ;

3. पाइलटों पर बंदरगाह मास्टर का नियंत्रण :—बंदरगाह मास्टर का जलयानों के पोत चालन भार पर नियंत्रण होगा, जब वे किसी पत्तन में प्रवेश कर रहे हों या उससे बाहर जा रहे हों अथवा बांधे जा रहे हों या लंगर में पड़े हों या पत्तन के किसी गोदी में लंगर से हटाए जा रहे हों।

4. पाइलटों का अनुज्ञप्त होना :—(1) प्रत्येक पाइलट के पास नव मंगलौर पत्तन के लिए पाइलट के कर्तव्यों का पालन करने के लिए अनुज्ञप्ति होगी और ऐसी अनुज्ञप्ति केन्द्रीय सरकार को मंजूरी के अधीन रहते हुए, बोर्ड द्वारा दी जाएगी और उसके द्वारा प्रतिसंहरणीय होगी।

(2) कोई पाइलट, बोर्ड से संबंध तोड़ने पर अपनी अनुज्ञप्ति बोर्ड को तत्काल परिदत्त करेगा।

5. पाइलट सेवा में प्रवेश करने की शर्तें:—किसी व्यक्ति को पाइलट के रूप में तब तक अनुज्ञप्त नहीं किया जाएगा जब तक कि वह बोर्ड का यह समाधान नहीं कर देता कि वह निम्नलिखित शर्तें पूरी करता है:—

(क) नव मंगलौर पत्तन कर्मचारी (भर्ती, ज्येष्ठता तथा प्रोन्नति) विनियम, 1980 के विनियम 15 के उप विनियम (1) और (2) में अधिकथित पात्रता की शर्तें ;

(ख) जब तक कि बोर्ड द्वारा अन्यथा शिथिल न किया गया हो, उसे परिवीक्षाधीन पाइलट के रूप में नियुक्ति की तारीख को बीस वर्ष से कम और पैंतालीस वर्ष से अधिक आयु का (सरकारी सेवकों के लिए शिथिल की जा सकती है) नहीं होना चाहिए और;

(ग) उसके पास विनियम 6 में विनिर्दिष्ट अर्हताएं हैं।

6. अभ्यर्थी की अर्हताएं:—पोत चालन अनुज्ञप्ति के लिए अभ्यर्थी:—

(क) के पास भारत सरकार द्वारा अनुदत्त मास्टर (विदेश-गामी) सक्षमता प्रमाण-पत्र या उसके समतुल्य प्रमाणपत्र का होना आवश्यक है और अधिमानतः उसके पास विदेश-गामी पोत के प्रथम मेट के रूप में कम-से-कम छह मास का अनुभव भी होना चाहिए,

(ख) शारीरिक स्वस्थता प्रमाणपत्र ऐसे चिकित्सा प्राधिकारी से प्राप्त करेगा जो उस प्रयोजन के लिए बोर्ड द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए,

(ग) अच्छे चरित्र और सावधी का प्रमाणपत्र प्रस्तुत करेगा,

(घ) जब तक कि बोर्ड अन्यथा अवधारित नहीं करता, परिवीक्षाधीन प्रशिक्षण के लिए कम-से-कम 3 मास कार्य करेगा ; और प्रशिक्षण समाप्त होने पर परिवीक्षार्थी, यदि बंदरगाह मास्टर सिफारिश करे और उप-संरक्षक उसे अनुमोदित करे, पोत पाइलट से संबंधित अपनी अर्हताओं के परीक्षण के लिए आवेदन करेगा।

7. परीक्षा के विषय :—विनियम 6 के उपविनियम (1) के खण्ड (घ) में विनिर्दिष्ट परीक्षा के लिए निम्नलिखित विषय होंगे, अर्थात्:—

(1) पत्तन में नौ परिवहन से संबंधित विनियम तथा नियम;

(2) पत्तन के भीतर किन्हीं दो स्थानों के बीच मार्ग तथा दूरी;

(3) ज्वार-भाटे के उतार और चढ़ाव ;

(4) गहराई और गंभीरता मापन के प्रकार;

(5) पत्तन के भीतर लंगरगाहों, चट्टानों, रेती तथा अन्य खतरों, सीमाचिह्न, बीया और संकेत दीप ;

(6) पोत और स्टीमरों का प्रबंध; और ज्वार भाटे के समय लंगर में लाने का ढंग और उन्हें साफ रखना,

(7) किसी जलयान को सभी परिस्थितियों में संभालना,

(8) बांधना, खोलना तथा नीचे जाना,

(9) पत्तन के बंदरगाह यान नियम,

(10) पत्तन के सुरक्षा नियम,

(11) करन्तीन नियम,

(12) भारतीय पत्तन अधिनियम, 1908 (1908 का 15) और महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 (1963 का 38), और

(13) ऐसे अन्य विषय जो विनियम 8 में निर्दिष्ट परीक्षा समिति द्वारा इस निमित्त अवधारित किए जाएं।

8 परीक्षा समिति:— परीक्षा समिति, बोर्ड द्वारा विहित रीति से परीक्षा लेगी ऐसी परीक्षा समिति का गठन निम्नलिखित रूप में किया जाएगा :—

(1) उप संरक्षक (अध्यक्ष),

(2) बंदरगाह मास्टर, और उसकी अनुपस्थिति में बोर्ड द्वारा नाम-निर्दिष्ट कोई अन्य सामुद्री अधिकारी,

(3) विदेश-गामी पोत का कोई मास्टर।

9. परीक्षा उत्तीर्ण करने में असफलता:— परिवीक्षाधीन व्यक्ति को उसकी नियुक्ति के नौ मास के भीतर, विनिर्दिष्ट परीक्षा में असफल रहने पर, सेवामोचित किया जा सकता है।

10. पाइलट पहचान ध्वज:— (1) प्रत्येक पाइलट को एक पहचान ध्वज दिया जाएगा जो उसके भारसाधन के जलयान के ऊपर ऐसे स्थान पर फहराया जाएगा जहां से उसे अन्य संकेतों की अपेक्षा सुस्पष्टता से देखा जा सके।

(2) संकेत स्टेशन पर एक वैसा ही ध्वज फहराया जाएगा और उसका प्रयोग, जलयान से संसूचना के लिए, जब पाइलट फलक पर हो किया जाएगा।

(3) विनियम (1) और (2) में अंतर्विष्ट किसी बात के हो हुए भी, पाइलट पत्तन नियंत्रण से वि० एच० एफ० संसूचना बनाए रखेगा और पत्तन नियंत्रण से भेजे गए सभी अनुदेशों का पालन करेगा।

11. प्राधिकारी के आदेश का पाइलटों द्वारा पालन किया जाना:— बोर्ड, उपसंरक्षक और बंदरगाह मास्टर द्वारा दिए गए या जारी किए गए सभी विधिपूर्ण आदेशों और विनियमों का पाइलट द्वारा पालन और निष्पादन किया जाए।

12. पाइलट का आचार :— (1) प्रत्येक पाइलट हर समय संयम का प्रयोग करेगा तथा जलयान के भारसाधन के दौरान हर समय जलयान की सुरक्षा, उसके समीप के अन्य जलयानों और पत्तन की अन्य संपत्ति, प्रतिष्ठानों और यानों की सुरक्षा के लिए अधिकतम देखरेख तथा तत्परता बरतेगा।

(2) प्रत्येक पाइलट, जब जलयान रास्ते में हो और यदि आवश्यकता हो तो, उसके पथप्रदर्शन संबंधी, प्रतिध्वनि गंभीरता मापी राडार और/या अन्य कोई नौ परिवहन संबंधी सहायता जारी रखेगा और जलयान के स्वामी, समादेशक मास्टर या अधिकारी के लिखित आदेश के बिना जलयान को भू-ग्रस्त नहीं करेगा।

(3) उप विनियम (2) में अंतर्विष्ट उपबंधों के होते हुए भी, पाइलट मास्टर विशेष परिस्थितियों में ऐसी उचित कार्यवाही कर सकेगा जो पत्तन, पत्तन की सभी संपत्ति, प्रतिष्ठानों, नौ परिवहन जलसरणी अन्य पोतों और यानों के, पोतों और उनके कर्मचारियों के व्यापकहित में, बचाव के लिए आवश्यक है।

13. जलयान के मास्टर आदि के साथ पाइलट का बर्ताव:— (1) प्रत्येक पाइलट अपने भार-साधन के किसी जलयान के स्वामी, मास्टर और अधिकारियों के प्रति शिष्टाचार का व्यवहार करेगा।

(2) पाइलट, उप-संरक्षक या बंदरगाह मास्टर को प्रत्येक ऐसे अवसर की जानकारी देगा जब मास्टर या समादेशक अधिकारी ने अशिष्ट ढंग से व्यवहार किया है।

14. पाइलटों द्वारा अपनी सेवाओं के लिए प्रमाण पत्र प्राप्त किया जाना :—(1) प्रत्येक पाइलट जलयान के फलक पर आते समय, मास्टर को यथास्थिति, अपने पहुंचने या रवानगी की रिपोर्ट देगा और रिपोर्ट में अपने हस्ताक्षर सहित सभी अपेक्षित विशिष्टियां दर्ज करेगा ।

(2) पाइलट की ड्यूटी पूरी हो जाने पर वह परिवहन और लंगर डालने संबंधी प्रमाणपत्रों को भरेगा और उसे मास्टर के हस्ताक्षर के लिए प्रस्तुत करेगा।

15. पाइलटों का जलयानों के फलक पर अच्छे समय पर जाना :—प्रत्येक पाइलट, बहिर्गामी या ऐसे बर्थ से, जिसमें वह पड़ा है, बाहर निकलने वाले प्रत्येक जलयान को भारसाधन में लेने से पहले,फलक पर जाएगा और अपने बारे में मास्टर या कमान आफिसर को रिपोर्ट करने के लिए नियत समय पर रिपोर्ट करेगा और पाइलट पत्तन पर इस विषय से संबंधित प्रवृत्त नियमों का पालन करेगा।

16. पाइलट द्वारा ड्यूटी पर अपने साथ अपनी अनुज्ञाप्ति आदि का रखा जाना :—प्रत्येक पाइलट, जब वह ड्यूटी पर हो, हमेशा अपनी अनुज्ञाप्ति, पत्तन के लिए शासकीय ज्वार-भाटा-सारणी ,उस समय प्रवृत्त नव मंगलौर पत्तन नियम, 1976 और उन विनियमों की एक प्रति अपने साथ रखेगा।

17. वास सुविधा और भोजन की व्यवस्था :—प्रत्येक पाइलट के लिए उचित वास-सुविधा का उपबन्ध किया जाएगा और उसे (भारतीय समय के अनुसार) 7 बजे पूर्वाह्न से 9 बजे पूर्वाह्न के बीच जलपान और 12 बजे दोपहर से 2 बजे अपराह्न के बीच दिन का भोजन दिया जाएगा तथा 6 बजे अपराह्न से 8 बजे अपराह्न के बीच रात का भोजन दिया जाएगा।

(2) पाइलट जलयान को लंगर में या बन्दरगाह के किनारे छोड़ सकेगा तथा यदि उसे भोजन नहीं मिला है तो भोजन करने के लिए जा सकेगा और यह बात उपसंरक्षक या बन्दरगाह मास्टर की जानकारी में लाएगा।

18. पाइलटों द्वारा यह देखा जाना कि लंगर जलयान को निकालने के लिए तैयार है :—प्रत्येक पाइलट, बहिर्गामी किसी जलयान को भारसाधन में लेने से पूर्व, जलयान के मास्टर या भारसाधक, अधिकारी से यह पूछेगा कि जलयान सभी प्रकार से, अर्थात् उसका इंजिन, स्टीयरिंग-गियर, टेलिग्राफ, , बलन-वर्क्स, बांधने वाले बिंच, नौपरिवहन संबंधी प्रकाश तथा संकेत, उचित संकेत के लिए सीटी या भौंपू तैयार है तथा यह भी पूछेगा कि लंगर तुरन्त जलयान के निकालने के लिए तैयार है।

19. पाइलटों द्वारा साक्ष्य दिया जाना :—कोई पाइलट किसी ऐसे परीक्षण या जांच में जिसमें वह कोई पक्षकारी नहीं है उप-संरक्षक की अनुज्ञा के बिना साक्ष्य देने के लिए तब तक हाजिर नहीं होगा जब तक कि वह सपीना के अधीन नहीं है और यदि सपीना के अधीन किसी पाइलट को साक्ष्य देना है तो वह उस तथ्य की उप-संरक्षक को तत्काल लिखित रिपोर्ट करेगा।

20. पाइलटों द्वारा नौपरिवहन संबंधी चिह्न आदि में किसी परिवर्तन की जानकारी दी जाना :—प्रत्येक ऐसा पाइलट, जिस ने जलसरणी की गहराई में कोई परिवर्तन देखा है अथवा वह महसूस किया है कि कोई बोय, संकेत दीप या प्रकाशन—जलयान वह गया है, टूट गया है, उसे नुकसान पहुंचा है या वर्तमान स्थिति से हट गया है या किसी ऐसी परिस्थिति का ज्ञान हुआ है जो नौपरिवहन की सुरक्षा को प्रभावित कर सकती है, उप संरक्षक और बन्दरगाह मास्टर को तुरन्त लिखित ब्यौरेवार सूचना देगा और उसे बंदरगाह मास्टर की लाग बुक में अभिलिखित किया जाएगा।

21. पाइलट का दुर्घटना रिपोर्ट देना :—प्रत्येक पाइलट, किसी ऐसी दुर्घटना के होने जाने के पश्चात् ,जिससे उसके भारसाधन का कोई जलयान संबंधित है, तुरन्त उप-संरक्षक या बन्दरगाह मास्टर को उस बाबत शीघ्रतिशीघ्र रिपोर्ट करेगा और उसके पश्चात् बंदरगाह मास्टर की मार्फत उप-संरक्षक, को उक्त घटना के चौबीस घंटे के भीतर, लिखित रिपोर्ट देगा जिसमें नुकसानी की बाबत सभी ब्यौरे, दुर्घटना के कारण और उसके लिए जिम्मेवारी, का उल्लेख किया जाएगा।

22. बन्दरगाह मास्टर द्वारा जलयानों के पाइलटों की हाजिरी का विनियमन :—बन्दरगाह मास्टर, ड्यूटी वाले ऐसे पाइलटों को जलयानों पर तैनात करेगा जिनकी सेवाएं वहां अपेक्षित हैं और एक चक्रानुक्रम दर्शाने वाली ऐसी सूची तैयार की जाएगी जिसके अनुसार ऐसे जलयानों को पाइलट (उनके संबंधित वर्गों को ध्यान में रखते हुए) आबंटित किये जाएंगे। उक्त सूची उप-संरक्षक या बन्दरगाह मास्टर के कार्यालय में रखी जाएगी।

23. जलयान के संबंध में पाइलट की ड्यूटी का प्रारम्भ होना :—जलयान के संबंध में किसी पाइलट की ड्यूटी उस समय से प्रारम्भ होगी जब "स्टेशन" काल किए जाते हैं और पाइलट नौपरिवहन ब्रिज की ओर समुद्र में यथास्थिति, घाट, पोतघाट, गोदी, जेटी या लंगरगाह से जलयान को पाइलट करने के लिए अग्रसर हो गया है।

24. जलयान के संबंध में पाइलट की ड्यूटी की समाप्ति :—जलयान के संबंध में किसी पाइलट की ड्यूटी तब समाप्त होगी जब वह,—

(i) जलयान को अनिवार्य पोत चालन जल की सीमा तक, या

(ii) ऐसी व्यवस्था होने तक कि मास्टर या कमान आफिसर यह समझता है कि किसी पाइलट की सेवाओं की अब कोई आवश्यकता नहीं है तथा पाइलट भी अपनी राय में यह महसूस करता है कि विद्यमान परिस्थितियों के अनुसार मास्टर या कमान आफिसर समुद्र से बाहर जलयान को सुरक्षित रूप में ले जा सकते हैं।

25. अन्तर्गामी जलयानों के बारे में पाइलट की ड्यूटी का प्रारम्भ होना :—अन्तर्गामी जलयान के संबंध में किसी पाइलट की ड्यूटी उस समय से प्रारम्भ होगी जब वह जलयान पर जाकर नौपरिवहन ब्रिज की ओर अग्रसर हो गया है और बन्दरगाह में जलयान को अन्दर की ओर लाने के लिए अपने भारसाधक में ले लिया है और जब उक्त जलयान पत्तन की अनिवार्य पोतचालन की सीमा के अन्दर प्रविष्ट हो जाता है।

26. जलयान पर पहुंचने के पश्चात् पाइलट द्वारा कार्यवाही की जाना :—जलयान पर पहुंच कर पाइलट,—

(क) यह अभिनिश्चित करेगा कि समुद्रयात्रा के दौरान जलयान के फलक पर के व्यक्तियों में से किसी को, पत्तन में उस समय प्रवृत्त करन्तीन से संबंधित नियमों में विनिर्दिष्ट प्रकार का कोई संक्रामक रोग है अथवा रहा है, यदि ऐसा कोई रोग है या रहा है तो वह जलयान को लंगर में डाल देगा, करन्तीन संकेत देगा और उक्त नियमों में इस निमित्त अंतर्विष्ट अनुदेशों को क्रियान्वित करेगा;

(ख) जलयान का वर्तमान ड्राफ्ट अभिनिश्चित करेगा और यह देखेगा कि जाने के लिए दोनों लंगर खुले हैं, यह भी देखेगा कि राष्ट्रीय पोत ध्वज फहराए गए हैं और जलयान का नाम वर्णित करने वाला ध्वज तथा अन्य संकेत जो समय-समय पर नव मंगलौर पत्तन नियम, 1976 द्वारा अपेक्षित हैं, ऐसी रीति से फहराए गए हैं जिससे कि वे पत्तन संकेत स्टेशन से साफ देखे जा सकें।

27. अन्तर्गामी जलयान के संबंध में पाइलट की ड्यूटी की समाप्ति :—अन्तर्गामी जलयान के संबंध में किसी पाइलट की ड्यूटी तब समाप्त होगी जब जलयान सुरक्षित ढंग से यथास्थिति, किसी घाट, पोतघाट, गोदी, जेटी या लंगरगाह में बांध दिया है या लंगर में डाल दिया जाता है।

28. जलयानों को गतिमान करना :—(1)जब तक कि मास्टर फलक पर नहीं है, कोई भी पाइलट, यदि कोई जलयान चल रहा है, पत्तन के भीतर जलयान को, एक अवस्था से दूसरी अवस्था में गतिमान नहीं करेगा अथवा गतिमान करने के लिए निदेश नहीं देगा।

(2) जहां मास्टर, जलयान के गतिमान रहने के दौरान ही, छोड़ देता है, वहां पाइलट जलयान को ऐसी सुरक्षित अवस्था में लंगर डालने के लिए निदेश देगा जिसमें कि मास्टर उसमें आसानी से पहुंच सके और तब तक गतिमान करने के लिए निदेश नहीं देगा जब तक कि जलयान का मास्टर वापस न आ जाए।

(3) जलयान को गतिमान करने के लिए आरम्भ से अन्त तक फलक पर मौजूद और ड्यूटी के लिए उपलब्ध आफिसरों और कर्मीदल की संख्या उस संख्या से कम नहीं होगी जो ऐसी कोई ड्यूटी करने के लिए पर्याप्त है, जिसकी अपेक्षा हो, और यदि कोई पाइलट किसी जलयान के फलक पर जाने पर, यह समझता है कि उक्त संख्या पर्याप्त नहीं है तो वह मास्टर का ध्यान नव मंगलौर पत्तन नियम, 1976 की ओर दिलाएगा और जलयान गतिमान करने से इंकार कर देगा।

स्पष्टीकरण :—इस विनियम में "मास्टर" पद के अन्तर्गत, मास्टर के पद के कर्त्तव्यों के पालन में उसके निःशक्त हो जाने की दशा में, उसके कृत्यों के पालन के लिए सम्यक् रूप से प्राधिकृत प्रथम या अन्य आफिसर भी है।

29. अनुज्ञप्ति का खो जाना :—पाइलट, अपनी अनुज्ञप्ति खो जाने पर उसकी सूचना तत्काल उप-संरक्षक को देगा। सूचना में उन परिस्थितियों का वर्णन करेगा जिनमें अनुज्ञप्ति खोई है और उप-संरक्षक, जब तक कि उसका यह समाधान नहीं हो जाता कि अनुज्ञप्ति पाइलट के अवचार के कारण खो गई है, बोर्ड द्वारा अनुज्ञप्ति की दूसरी प्रति मंजूर करने तक, एक अस्थायी अनुज्ञप्ति जारी करेगा।

30. पाइलटों द्वारा चार्टों का परीक्षण :—प्रत्येक पाइलट, उप-संरक्षक या बन्दरगाह मास्टर के कार्यालय में, पत्तन के नवीनतम रेखाओं और चार्टों से परिचित होने के लिए जाएगा और पत्तन से संबंधित कोई अन्य जानकारी अभिनिश्चित करेगा और अपनी प्रत्येक दिन की सौंपी परिवहन ड्यूटी को पूरा करने के पश्चात् बन्दरगाह मास्टर की लाग बुक को भी भरेगा।

31. पाइलट की वर्दी :—प्रत्येक पाइलट, जब वह ड्यूटी पर हो, ऐसी वर्दी पहनेगा जो बोर्ड विहित करे।

32. निर्वचन :—यदि इन विनियमों के निर्वचन के संबंध में कोई प्रश्न उठता है तो उसे विनिश्चय के लिए बोर्ड को निर्देशित किया जाएगा।

[पी० डब्ल्यू०-पी० जी० एल०-54/79]

एम० आर० गंधवाल, अवर सचिव।

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1980